सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 259 राँची, शुक्रवार, 1 ज्येष्ठ, 1948 (श०) / 22 मई, 2026 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

18 मई, 2026

ज्ञापांकः 06/के0ब0 विविध-01-20/2025-104(6)--स्वा0,

विषयःराज्य में AI Innovation एवं Adoption को गति प्रदान करने के लिए Google LLC के साथ MoU करने के संबंध में।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के द्वारा समय-समय पर स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में अस्पताल चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये है एवं इनका संचालन भी विभाग के द्वारा किया जा रहा है।

2. इन अस्पतालो एवं स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा राज्य के आमजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही विभाग राज्य के आमजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध एवं प्रयासरत है।

वर्तमान में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में अनेक तकनीकी विकास हो रहा है। तकनीक का उपयोग कर स्वास्थ्य सुविधाएँ को बेहतर किया जाना अति आवश्यक हो गया है।

Google LLC द्वारा राज्य में AI Innovation एवं Adoption को गति प्रदान करने के लिए MoU करने का प्रस्ताव विभाग को समर्पित किया गया है।

Google LLC के साथ MoU होने उपरान्त स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक का उपयोग करस्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा, जो निम्नवत् है:-

- AI Innovationका निर्माण
- Cloud Adoption
- कौशल एवं विशेषज्ञता तक पहुँच (Access)
- शोधकर्ताओं को AI अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने में सक्षम बनाना
- स्वास्थ्य संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, पारंपरिक उद्योगों के लिए प्रशिक्षण एवं Support कार्यक्रम प्रदान करना

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य में AI Innovation एवं Adoption को गति प्रदान करने के लिए Google LLC के साथ MoU करने के प्रस्ताव एवं MoU प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

4. विभागीय संलेख ज्ञापांक-96(6) दिनांक-28.04.2026 में निहित उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-28.04.2026 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 259 - 50